

मान्यता कोड : RJBND27070

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)BUNDI , राजस्थान

क्रमांक: 1009

दिनांक 9/1/19

सचिव

प्रबंध समिति

VEDANT PUBLIC SCHOOL

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 23099 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, VEDANT PUBLIC SCHOOL पता VILL TULSI ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय JAKHMUND ब्लॉक TALERA को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ :-

क्रमोन्नति	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	Pr. with Up.Pr. with sec. Only (1-10)
क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 / कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है	Yes
स्वीकृत संकाय एवं विषय का विवरण	
विज्ञान संकाय	Physics (Science Stream), Chemistry (Science Stream), Biology (Science Stream), Mathematics (Science Stream)
वाणिज्य संकाय	
कला संकाय	


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, बूंदी

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)BUNDI, राजस्थान

क्रमांक: 2185

दिनांक 17.11.2017

सचिव

प्रबंध समिति

VEDANT PUBLIC SCHOOL

विषय - राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 21260 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चात्तवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, VEDANT PUBLIC SCHOOL पता VILL TULSI ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय JAKHMUND ब्लॉक TALERA को निर्देशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ :-

क्रमोन्नति	
पूरे मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	Primary with Upper Primary (1-8)
क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 / कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है	Yes

- विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित आपदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
- विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्राप्त के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
- विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
- विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी। मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, बून्दी

कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश कमांक शिविरा-मा/माध्य/अ-2/21313/2016-17 दिनांक 12.04.2016 के कम में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कमोन्नति/मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

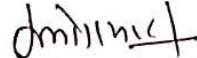
नोट :-

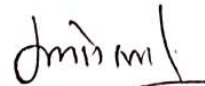
01. वर्ष 2016-17 में प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक ही संचालित करेंगे।
02. मान्यता प्राप्त परिष्ठ 2 की सम्पूर्ण पालना की जायेगी।
03. राज्य सरकार/आयुक्त माध्यमिक/निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना की जायेगी।
04. जब भी विभागीय प्रतिनिधि विद्यालय में उपस्थिति हो निरीक्षण करवाया जायेगा। विभागीय नियमों/आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।
05. राज्य/विभागीय नियमों आदेशों की अनुपालना नहीं करने पर यह प्रमाण-पत्र निरस्त किया जायेगा।
06. विद्यालय की टेन नम्बर आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध करावें।
07. खेलकूद एवं झण्डियों की राशि भी जमा करवायेंगे।
08. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावें एवं 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश दिया जावें।
09. बिना विभागीय स्वीकृति के भवन/नाम परिवर्तन नहीं किया जावे।
10. विद्यालय में मोबाईल टावर की स्थापना नहीं की जावें।
11. विद्यालय में अग्निशमन यंत्र की स्थापना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में करना अनिवार्य है।
12. विद्यालय के सभी छात्रों का दुर्घटना बीमा करवाना आवश्यक है।
13. सत्र 2017-18 में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को स्वतः घोषणा पत्र (टाईम फ्रेम) भरना आवश्यक है।

क्र.सं.	नाम विद्यालय	मान्यता स्तर	ब्लॉक	माध्यम
01	वेदान्त पब्लिक स्कूल तुलसी	6 से 8 उच्च प्राथमिक स्तर	तालेडा	अंग्रेजी

कमांक: जिशिअ/प्राशि/वृ/मान्यता/16-17/401-05
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

01. श्रीमान् निदेशक महोदय, प्रारंभिक शिक्षा राज0 बीकानेर।
02. श्रीमान् उपनिदेशक महोदय, प्रारंभिक शिक्षा, कोटा।
03. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, प0स0 तालेडा।
04. संबंधित संस्थाप्रधान वेदान्त पब्लिक स्कूल, तुलसी।
05. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा बून्दी
दिनांक :- 22-03-2016


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा बून्दी

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, बून्दी

कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक महोदय, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/मूलमान्यता/15-16 दिनांक 16.04.2015 के क्रम में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कमोन्नति/मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।
नोट :-

01. वर्ष 2014-15 में प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक ही संचालित करेंगे व उच्च प्राथमिक वाले इस वर्ष कक्षा 6 का ही संचालन करें।
02. मान्यता प्राप्त परिष्ठ 2 की सम्पूर्ण पालना की जायेगी।
03. राज्य सरकार/आयुक्त माध्यमिक/निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना की जायेगी।
04. जब भी विभागीय प्रतिनिधि विद्यालय में उपस्थिति हो निरीक्षण करवाया जायेगा। विभागीय नियमों/आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।
05. राज्य/विभागीय नियमों आदेशों की अनुपालना नहीं करने पर यह प्रमाण-पत्र निरस्त किया जायेगा।
06. विद्यालय की टेन नम्बर आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध करावें।
07. खेलकुद एवं झण्डियों की राशि भी जमा करवायें।
08. निःशुल्क एवं अनिवार्य वाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे एवं 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश दिया जावे।
09. बिना विभागीय स्वीकृति के भवन/नाम परिवर्तन नहीं किया जावे।
10. विद्यालय में मोबाईल टावर की स्थापना नहीं की जावे।
11. विद्यालय में अग्निशमन यंत्र की स्थापना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में करना अनिवार्य है।
12. विद्यालय के सभी छात्रों का दुर्घटना बीमा करवाना आवश्यक है।
13. सत्र 2014-15 में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को स्वतः घोषणा पत्र (टाईम फ्रेम) भरना आवश्यक है।

क्र.सं.	नाम विद्यालय	मान्यता स्तर	ब्लॉक	माध्यम
01	वेदान्त पब्लिक स्कूल तुलसी	1 से 5 प्राथमिक स्तर	तालेडा	अंग्रेजी
02	गुरुकुल वाल विद्या मंदिर मोहनपुरा	1 से 5 प्राथमिक स्तर	कोटापाटन	हिन्दी
03	क्षेत्रीय कॉन्वेंट स्कूल जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड बून्दी	6 से 8 उच्च प्राथमिक स्तर	बून्दी	बून्दी

क्रमांक: जिशिअ/प्राशिव/वृ/मान्यता/15-16/1707-13
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

01. श्रीमान् निदेशक महोदय, प्रारंभिक शिक्षा राज0 बीकानेर।
02. श्रीमान् उपनिदेशक महोदय, प्रारंभिक शिक्षा, कोटा।
03. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पोस0 तालेडा/कोटापाटन/बून्दी।
04. संबंधित संस्थाप्रधान, वेदान्त पब्लिक स्कूल तुलसी।
05. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा बून्दी

दिनांक: 30.9.15

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा बून्दी